20/7/15 वकील फीस के न उपस्थित। वकील वादी वादिनी को हिदायत पेशी नहीं करना चाहते हैं। अतः दावा No Instruction किया गया। पत्रावली बाबते मोकदमात 21/7/15 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

5/8/15 नकल P.O. [illegible] होने के कारण आज दिनांक 5/8/15 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 14/5/15 को की जावेगी।

14/5/15 स्थान P.O. [illegible] होने के कारण आज दिनांक 14/5/15 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 20/7/15 को की जावेगी।

20/7/15 वकील फीस के न उपस्थित। वकील वादी वादिनी को हिदायत पेशी नहीं करना चाहते हैं। अतः दावा No Instruction किया गया। पत्रावली बाबते मोकदमात 21/7/15 को पेश हो।

Plead
20.7.15

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

21/7/15 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं आये। आवाज लगवाई गई कई बार आवाज लगवाई गई आवेदिनी भी उपस्थित नहीं आये। अतः दावा वादी अथवा वादिनी अथवा पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर से बन्द हो। दायिक [illegible]

उप खण्ड अधिकारी